न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 295/14
निर्णय दिनांकः 11.06.2018

1. हरिराम
2. हनुमान
3. नानूराम
4. नन्दाराम

समस्त पुत्रान रामेश्वर जाति कुमावत नि0 बड़ीवालों की ढाणी वार्ड सं0 10 ग्राम पंचायत रोजड़ी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. अर्जुन पुत्र स्व0 किशन
2. गुल्लीदेवी पत्नि स्व0 किशन

   समस्त जाति कुमावत नि0 बड़ीवालों की ढाणी वार्ड सं0 10 ग्राम पंचायत रोजड़ी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
3. राधेश्याम चौधरी पुत्र रामचन्द्र चौधरी जाति जाट नि0 सरपंच की ढाणी ग्राम पंचायत रोजड़ी तह0 फुलेरा
4. तहसीलदार तह0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की संयुक्त आराजी खातेदारी ग्राम माल्यावास प0ह0 रोजड़ी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसके खं0नं0 274/1 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 377/273 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 383/275 रकबा 3 बीघा किता 3 कुल रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम माल्यावास प0ह0 रोजड़ी में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्त है। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने उपरोक्त आराजीयात को दिनांक 05.11.84 को ठाकुर भंवरसिंह, देवीसिंह, शिशपालसिंह, प्रतापसिंह, सवाईसिंह, गंगासिंह पिसरान हेमसिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम माल्यावास से व दिनांक 19.01.85 के विक्रय विलेख के द्वारा हेमसिंह पुत्र केसरसिंह राजपूत नि0 माल्यावास से खरीद की थी तब उपरोक्त आराजीयात के खं0नं0 274/1 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 273/1/1/2 कुल रकबा 14 बीघा 2 विस्वा मे से 2 बीघा 10 विस्वा व खं0नं0 275/1/2 रकबा 9 बीघा 8 विस्वा में से 3 बीघा जमीन खरीद की थी। वादीगण ने उक्त जमीन को अपने पूर्व

खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

में खरीदी गई जमीन के साथ सींव जोड़ से चरपेटवा खरीदी थी। जिसके नये खं0नं0 274/1 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 377/273 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, खंनं0 383/275 रकबा 3 बीघा किता 3 कुल रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम माल्यावास प0ह0 रोजड़ी में स्थित है तब से लेकर आजतक वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पिता व पति संयुक्त रूप से कब्जें काश्त है ओर उन्होनें उक्त आराजीयात पर पक्के मकानात बनाकर मय अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है। उपरोक्त आराजीयात से प्रतिवादी सं0 3 का कोई सम्बन्ध व ताल्लुक नहीं है प्रतिवादी सं0 3 वादीगण की आराजीयात के पास अपनी आराजीयात होने की बताकर दिनांक 23.11.14 को वादीगण की आराजीयात पर आकर कहा कि मैनें उक्त आराजीयात जगदीशसिंह पुत्र छीतरसिंह राजपूत से खरीद की है तथा जोर जबरदस्ती डोल लगाने लगा जिस बाबत् वादीगण ने मना किया तो झगड़ा फिसद करने लगा एवं धमकी देने लगाा की में भू माफिया गिरोह के सदस्यों से लठ के जोर पर कब्जा किसी भी समय करके डोल लगवा दूंगा। चाहे वादीगण के हाथ पांव क्यो न तोड़ना पड़े इसलिए वादीगण को अपने अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादी सं0 3 प्रस्तुत करना लाजिम हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की तरफ से वकील श्री गोपीचन्द ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील वादी ने दस्तावेज सूची के वादी हरिराम व नानूराम शपथ पत्र पेश कर बयान लेखबद्व करवाये गये। प्रतिवादी को शहादत पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये परन्तु वकील प्रतिवादी ने शहादत पेश नहीं की इसलिए प्रतिवादी की शहादत बन्द की गयी। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र सुरसिंहपुरा में पेश हुयीं। पक्षकारान को सुना गया।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित जमाबन्दी खाता सं0 3 व 78 पेश की है।

वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूॅं।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी सं0 3 राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय का डिक्री किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि खं0नं0 274/1 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 377/273 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 383/275 रकबा 3 बीघा किता 3 कुल रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम

ण्ड अधिकारी
ाँभर लेक

माल्यावास प0ह0 रोजड़ी तह0 फुलेरा जिला जयपुर में वादी के कब्जें काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा कर बेदखल करने की चेष्टा स्वंय व अपने किसी दीगर एजेन्ट सर्वेन्ट द्वारा न करावें ओर न ही वादीगण के उक्त आराजीयात के कोई भाग में किसी प्रकार से अतिक्रमण कर डोल खीचने व कब्जा करने की चेष्टा करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 11.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प सुरसिंहपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

मुकाम सांभर लेक

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस०

हरिराम वगै० बनाम अर्जुन वगै०

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 295/14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लक्ष्मणसिंह खंगारोत व हाजरी श्री गोपीचन्द कुमावत मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी सं0 3 राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय का डिक्री किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि खं0नं0 274/1 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 377/273 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 383/275 रकबा 3 बीघा किता 3 कुल रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम माल्यावास प0ह0 रोजड़ी तह0 फुलेरा जिला जयपुर में वादी के कब्जें काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा कर बेदखल करने की चेष्टा स्वंय व अपने किसी दीगर एजेन्ट सर्वेन्ट द्वारा न करावें ओर न ही वादीगण के उक्त आराजीयात के कोई भाग में किसी प्रकार से अतिक्रमण कर डोल खीचने व कब्जा करने की चेष्टा करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। ....निज .... मुबलिग....... .... बाबत्................................ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.................................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.......[signature].......

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner